RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
Udyog Bhawan, Tilak Marg, JAIPUR-302 005

Ref.No.RFC/F.Law-3/LPM/22/4705 Dated: 30 Nov.,2002

CIRCULAR
(Lit. 86)

Sub: Important Court Decision -
State Vs. Ram Chandra & Others

A FIR U/S 420 of IPC was lodged against Shri Ram Chandra and others for cheating with the Corporation. The accused intentionally handed over a vehicle to the Corporation, which was not financed by the RFC and forged number plate was affixed on the vehicle with the intention to cheat the Corporation. The Chief Judicial Magistrate, Sikar vide Judgement and Order dated 19.02.2002 has considered that the charges are proved against the accused persons and the Court has passed three years sentence for imprisonment against the accused persons.

Photo copy of the judgement is enclosed for reference of the field officers to use the same as judicial precedent, if any similar situation arises.

(J.P.VIMAL)
EXECUTIVE DIRECTOR

Encl. As above.

Copy to:

1. All ROs/BOs/SOs
2. GM(WZ, Jodhpur/DGM(WZ-A&I), Ajmer

प्रमाणित फोटोस्टेट प्रतिलिपि

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर (राजस्थान)

श्रीमती कमलदत्त, आर.जे.एस.

पीठासीन अधिकारी-

आपराधिक प्रकरण संख्या- 334/96

राजस्थान राज्य विरुद्ध 1- रामचन्द्र पुत्र केशरदेव जाति जाट
2- झाबरमल पुत्र केशरदेव जाति जाट
निवासी रामपुरा थाना सदर सीकर।
जिला सीकर।

.....अभियुक्तगण

अपराध धारा-420 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:- (1) विद्वान सहायक लोक अभियोजक प्रथम राज्य -
(2) श्री जुगलकिशोर जोशी अधिवक्ता अभियुक्तगण -

दिनांक—19.2.2002

-: निर्णय :-

आपराधिक प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 28.8.95 को पुलिस थाना सदर सीकर पर परिवादी राजेन्द्रसिंह गहलोत सहायक प्रबन्धक राज. वित्त निगम, सीकर ने प्रदर्श पी 3 लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि राजस्थान वित्त निगम ने जगदीशचन्द्र शर्मा के नाम से सेमफेक्स योजना के अन्तर्गत टैक्सी चलाने हेतु जीप महिन्द्रा खरीदने हेतु 185000 रुपये स्वीकृत कर दिनांक 24.7.91 को वितरण कर दिया गया था, उक्त जीप का रजिस्ट्रेशन नम्बर आर जे 23 टी0033 है, जो राजस्थान वित्त निगम के रहन रखी हुई है। उक्त जीप ड्राईवर झाबरमल के कब्जे में थी वही जीप को अपने घर पर रखता और किराये पर चलाता था, क्योंकि ऋण प्राप्तकर्ता जगदीशचन्द्र भारत से बाहर अरब देशों में रहता था। उक्त जीप शुरू से लेकर अब तक उसी के देखभाल में है। उक्त जीप की किश्तों का समय पर भुगतान नहीं करने के कारण 520000 से अधिक देय होने से राजस्थान वित्त निगम के अधिकारियों द्वारा धारा 19 एस एफ सी एक्ट 1951 के तहत झाबरमल के निवास स्थान पर दिनांक 29.9.95 को गाड़ी सीज करने गये, तब झाबरमल ने बताया कि ऋण प्राप्त कर्ता विदेश गया हुआ है, गाड़ी उसके पास खड़ी है और गाड़ी आपके गोदाम तक पहुंचा देगा और उसने गाड़ी को औद्योगिक क्षेत्र गोदाम में खड़ी करदी और अधिग्रहण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जब गाड़ी बेचने की कार्यवाही करना चाहते थे तब एक व्यक्ति धन्नाराम ने बताया कि झाबरमल ड्राईवर ने जानबूझकर निगम को धोखा देने के लिए दूसरा खराब गाड़ी पर जिसका मालिक झाबरमल का भाई है, जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर आर आर टी 6999 है, उस पर नम्बर प्लेट आर जे 23 टी0033 की लगाकर यह जानते हुये कि यह निगम द्वारा वित्त पोषित गाड़ी नहीं है, निगम के अधिकारियों को गलत गाड़ी सीज करादी। इसमें झाबरमल व रामचन्द्र दोनों भाईयों की मिली भगत है। झाबरमल व रामचन्द्र ने जानबूझकर राजस्थान वित्त निगम को धोखा देने की नियत से सही गाड़ी छुपाकर गलत गाड़ी पर गलत रजिस्ट्रेशन नम्बर लगाकर धोखा धड़ी की है और निगम को आर्थिक नुकसान एवं फायदा हेतु पहुंचाया है। इन गाड़ियों के इंजन व चेसिस नम्बर भिन्न भिन्न है। वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित गाड़ी नं. आर जे 23 टी0033 जिसके इंजन नं. व चेसिस नं. डीएन06245

हस्ताक्षरित
(रकेश कटारा)
प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि शाखा
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जोधपुर (राज.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर

है। इस लिखित रिपोर्ट पर अभियुक्तगण झाबरमल व रामचन्द्र के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। दौराने तफ्तीश जिला वित्त निगम के द्वारा सीज गाड़ी को जप्त किया गया, उसकी बाबत परिवहन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। वाहन की नम्बर प्लेट जप्त की गयी। वाहन का एफ.एस.एल से मुआयना करवाया गया। गवाहान के कथन लेखबद्ध किये गये एवं बाद तफ्तीश दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में प्रसंज्ञान लिया गया।

2- आरोप बहस सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से आरोपित किया गया तो अभियुक्तगण ने अपराध को अस्वीकार किया व मामले में अन्वीक्षा चाही। अभियोजन साक्ष्य में पी.डब्लू.1 जयसिंह, पी.डब्लू.2 राजेन्द्रसिंह गहलोत, पी.डब्लू.3 मदनलाल मीणा, पी.डब्लू.4 धन्नाराम, पी.डब्लू.5 नरेन्द्रसिंह, पी.डब्लू.6 महावीरप्रसाद, पी.डब्लू.7 गजानन्द, पी.डब्लू.8 भागाराम, पी.डब्लू.9 सुरेन्द्र शर्मा के कथन लेखबद्ध किये गये।

3- अभियुक्तगण के कथन धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन लेखबद्ध किये गये तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया। बचाव साक्ष्य में डी.डब्लू.1 झाबरमल, डी.डब्लू.2 महावीरप्रसाद के कथन लेखबद्ध कराये गये हैं।

4- उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का सावधानी से अध्ययन किया गया।

5- इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या आपने जीप आर जे 23 टी0033 जो की वित्त निगम से फाइनेंस जीप थी, के स्थान पर आर आर टी 6999 जीप पर आर जे 23 टी0033 की नम्बर प्लेट लगायी और उसके चेसिस व इंजन नम्बर भी मिटा दिये, जिससे कि वित्त निगम के अधिकारियों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि यह जीप आर जे 23टी 0033 है और इस प्रकार नयी जीप की जगह अत्यधिक पुरानी जीप को सदोष लाभ प्राप्त करने के आशय से व वित्त निगम को सदोष हानि पहुंचाने के लिए उक्त जीप आर आर टी 6999 को अधिग्रहित करवा दिया ?

इस सम्बन्ध में इस प्रकरण में मुख्य गवाह राजेन्द्रसिंह प्रथम सूचना रिपोर्ट कुनिन्दा है, जो निगम में सहायक प्रबन्धक के पद पर कार्यरत था, ने अपने सशपथ कथन पी.डब्लू.2 में बयान करता है कि दिनांक 28.2.95 को वह सहायक प्रबन्धक के पद पर कार्यरत था, सन् 1993 में जगदीशप्रसाद को एक लाख पिच्यासी हजार रुपये का ऋण दिया गया था, जीप आर जे 23 टी0033 इनके यहां से वित्त पोषित था, जिस पर 55000रु की ऋण की किश्ते बकाया चल रही थी, ऋण के पैसे बकाया होने से इस जीप को जप्त किया था। जीप को सन् 1994 में झाबरमल के यहां से ग्रामरामपुरा से जप्त किया था। रामचन्द्र झाबरमल को नोटिस दिये। हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि गाड़ी झाबरमल व रामचन्द्र के पास है। जगदीश विदेश चला गया था। झाबरमल ने स्वयं जीप चलाकर औद्योगिक क्षेत्र सीकर में खड़ी कर दी थी, जो [illegible] फैक्टरी में खड़ी की थी। जहां निगम का हरीसिंह चौकीदार था, जिसको जीप ... गाड़ी जप्त करते समय यह, जयसिंह व शंकरलाल थे। शंकरलाल गाड़ी को जयपुर से नीलामी निकलवायी। गाड़ी के सदेश बोलते था। फिर गाड़ी को चेसिस नम्बर व इंजन नम्बर दिखायी नहीं दे रहे थे, टूटे हुये थे। उसके बाद एक आदमी इनके पास आया और कहा कि यह गाड़ी 0033 नहीं है, यह गाड़ी आर आर टी 6999 है। तब इसने नीलामी रुकवायी व एफ आई आर दर्ज करा

ता। गाड़ी आर आर टी 6999 झाबरमल के नाम थी, जिसको झाबरमल चला-
रहा था। झाबरमल ने एफ आई आर, आर एफ सी जे. [illegible] थाना रानोली
में दर्ज करायी थी कि उसकी गाड़ी आर आर टी 6999 चोरी हो गया। इससे
स्पष्ट है कि उसने जानबूझकर आर जे टी0033 की जगह आर आर टी 6999
जप्त करायी थी, जो बाद में जांच से एफ एस एल रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया। इसने
प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 की थी, जिस पर इसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने
आर जे 23 टी0033 को प्रदर्श पी 1 के जरिये जप्त किया था, जिस पर इसके
हस्ताक्षर है। जिरह में कहता है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 जयसिंह किन्नया की
हस्तलिपि है, जो इसके कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्यरत था। रिपोर्ट यह
स्वयं थाने पर लेकर गया था। उसने आर आर टी 6999 का पंजीयन प्रमाणपत्र
नहीं देखा है जो, सोउक्त व्यक्ति ने बताया कि जीप झाबरमल के नाम से है।
रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 में सिरमा ई से एफ में झाबरमल का भाई रामचन्द्र का
रजिस्टर्ड स्वामी होना लिखाया था जो सही है। आगे कहता है कि जिस
समय वाहन नीलाम हो रहा था, उस समय अज्ञात व्यक्ति ने आकर बताया कि यह
उस नम्बर का नहीं है। वाहन के जप्त होने के चार पांच महीने बाद यह सूचना
मिली थी। उस व्यक्ति का क्या नाम था इसे जानकारी नहीं है, उसका नाम
प्रथम सूचना रिपोर्ट में हन्नाराम सहवन से लिख दिया गया था। वाहन
रामपुरा से जप्त किया था। झाबरमल को ड्राईवर करके यह गन्तव्य स्थान पर
लाये थे। झाबरमल ने नहीं बताया कि उसके पास वाहन कैसे आया। गाड़ी चलने
की स्थिति में थी, लेकिन अच्छी कण्डीशन में नहीं थी। वाहन को जप्त किया
तो उसके चेसिस नम्बर व इंजन नम्बर दिखायी नहीं दे रहे थे। झाबरमल ने नहीं
बताया कि यह वाहन आर आर टी 6999 है। इस गवाह के द्वारा राजस्थान
वित्त निगम के यहां से जीप आर जे 23 टी0033 पर जगदीशप्रसाद के नाम से
एक लाख पिच्चासी हजार रुपये का ऋण दिया जाना व जिस पर करीब
पचपन हजार रुपये की किश्ते बकाया हो जाने से उक्त वाहन जयसिंह किन्नया
कनिष्ठ सहायक श्रीकिशनलाल के साथ जाकर गांव रामपुरा से आरोपी झाबरमल के कब्जे
से बरामद किया जाना, जो आरोपी स्वयं के द्वारा चलाकर सीकर तक लाने के
नीलाम तक पहुंचाना कथन किया है। यह गवाह यह भी कहता है कि नीलामी
के समय करीब चार- पांच माह पश्चात किसी अज्ञात व्यक्ति से सूचना मिली कि
यह वाहन वास्तव में आर जे 23 टी0033 नहीं होकर आर आर टी 6999 है,
जिसके आधार पर इन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी, जो प्रथम सूचना
रिपोर्ट जयसिंह किन्नया की बनायी है।

7- इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू. 1 जयसिंह है जो कहता है कि वह सहायक
राजस्थान वित्त निगम सीकर में कार्यरत था, राजेन्द्रसिंह प्रबन्धक थे, जिनके साथ
श्रीकिशनलाल को लेकर जीप आर जे 23 टी0033 को जो जगदीश के नाम से वित्त
पोषित थी, झाबरमल पुत्र हरदाराम निवासी रामपुरा के घर से बरामद करने गये
थे, दिनांक 29.9.94 को उनके घर गये थे, जीप झाबरमल के घर पर मिल गयी
थी। झाबरमल को बुलाकर वाहन सीज करने की सूचना दी तो झाबरमल ने कहा
कि वह स्वयं ही जीप छोड़ आयेगा, गांव में जीप जप्त करने पर उसकी बदनामी
होगी। जीप को झाबरमल औद्योगिक क्षेत्र सीकर के गोदाम में छोड़ कर गया
था, उस समय नोटरी पब्लिक मौजूद था। आधिग्रहण रिपोर्ट बनायी थी। झाबरमल ने
हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। वाहन जीप 0033 यह नहीं है बल्कि
6999 थी, जो झाबरमल के भाई रामचन्द्र के नाम थी और पुरानी स्थिति में
थी, किन्तु चलने की स्थिति में थी। यह जानकारी होने पर झाबरमल व रामचन्द्र
के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। वाहन को पुलिस ने जप्त कर

मुख्य प्रतिलिपिकार
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)
19.2.02

लिखा था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 1 है, जिस पर इसके हस्ताक्षर हैं। इसके द्वारा वाहन को जप्त किया गया उसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी इसके हस्ताक्षर हैं। जिरह में कहता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट राजेन्द्रसिंह के डिक्टेशन के आधार पर लिखी थी। जिस आदमी द्वारा सूचना दी गयी उसका नाम हन्नाराम होना बताया। सूचना दी उस दिन यह कार्यालय में नहीं था। यह भी कहता है कि ~~...~~ जगदीशप्रसाद जीप का पंजीकृत स्वामी था, जो इसके गांव का था, जिसने जीप का मुख्तयारनामा इसके नाम किया था। उसने महेन्द्र को जीप दे दी थी। मुख्तयारनामा इसलिए इसके नाम किया कि आर एफ सी का ऋण चूक जाये। इकरारनामा महेन्द्र के साथ किया वह प्रदर्श डी 1 है, जगदीशप्रसाद सितम्बर 1991 में विदेश गया था। इसके नाम मुख्तयारनामा लिखा वह प्रदर्श डी 2 है। महेन्द्र का इकरारनामा दिनांक 7.9.91 को लिखा था, जिसके द्वारा जीप विक्रय कर दी थी। प्रदर्श डी 1 पर इसके हस्ताक्षर बतौर गवाह करवाये थे, जीप जगदीशप्रसाद ने महेन्द्र को संभला दी थी। यह भी कहता है कि 1994 में जीप दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जो उसी की सुपुर्दगी पर दी गयी थी, जीप महेन्द्र के कब्जे थी। वह उसके मालिक भींवाराम के कब्जे में थी। उस समय चालक कौन था पता नहीं। जब हमने डी टी ओ से पता किया कि आर आर टी 6999 किसके नाम से पंजीकृत है, तब पता चला कि झाबर के भाई रामचन्द्र के नाम से पंजीकृत है तथा काफी पुराना मोडल है। यह सही है कि रामचन्द्र व झाबरमल की साजिश होने का अनुमान इसलिए लगाया कि रामचन्द्र के नाम से वाहन आर आर टी 6999 पंजीकृत है। गाड़ी इसने नहीं बेची थी। महेन्द्र इस गाड़ी को दो साल चलाने के बाद विदेश चला गया और अपने चाचा ताराचन्द को जीप सौंप गया। ताराचन्द ठेकेदार का काम करता है, वह इसके पास आया और कहा कि वह वाहन रखने में असमर्थ है तथा यह वाहन भींवाराम को एक लाख चौरासी हजार रुपये में बेचना तय कर लिया तथा वित्त निगम की बकाया राशि भींवाराम चुकायेगा। उसी ने कहा था कि निगम की ऋण राशि के अलावा शेष राशि प्राप्त करली। बेचान के वास्ते होने के कारण हस्ताक्षर कर दिये। भींवाराम ने झाबरमल के पास गाड़ी बेचान से की थी। यह भी कहता है कि श्रीगोपाल पुत्र नेमाराम ने बताया कि उक्त जीप हमने झाबरमल पुत्र केशरदेव जाट को बेचान कर दी है, किन्तु भुगतान नहीं होने के कारण इकरारनामा नहीं लिखा गया है। वित्त निगम की बकाया राशि का भुगतान झाबर करेगा। इस आधार पर जानकारी मिली थी कि जीप झाबर के पास है। यह कहना सही है कि सन् 1991 से 95 तक यह जीप इसके पास कब्जे में नहीं रही। यह गलत है कि जीप आर आर टी 6999 चोरी हुई हो और उस गाड़ी को राजस्थान वित्त निगम गोदाम में खड़ा कर दिया हो और उस पर आर जे 23 डी0033 की नम्बर प्लेट लगा दी हो। वहां चौकीदार रहता है, इसलिए वहां नम्बर प्लेट बदलने का कोई खतरा नहीं रहता है। इस रूप में इसके कथनों से प्रदर्श पी 2 के द्वारा झाबर के कब्जे से यह बरामद किया जाना कहता है, जो प्रदर्श पी 2 राजस्थान वित्त निगम द्वारा जीप की अधिग्रहण रिपोर्ट है, जो नोटेरी पब्लिक के द्वारा प्रमाणित की हुई है, जिसके अनुसार जीप झाबरमल पुत्र केशर जाट निवासी रामपुरा के निवास से जप्त की गयी थी, जिस पर झाबर ने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। इंजन नम्बर व चेसिस नम्बर स्पष्ट दिखायी नहीं दे रहे हैं।

8- अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.3 नेतराम है जो कहता है कि दिनांक 19.5.95 को सीकर में जिला परिवहन अधिकारी के पद पर तैनात था, उस दिन एक तहरीर प्रदर्श पी 5 इसे प्राप्त हुई थी, जिस पर आमेन्ट के अनुसार रिपोर्ट

19.2.02
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)

[illegible] बाबत [illegible]
आर टी ओ [illegible] लिखे थे, [illegible] आर जे 23 टी 0033 के चैसिस
सीकर को दी गयी व आर आर टी 6999 व आर जे 23 टी 0033
व इंजन नम्बर व स्वामी के नाम पते पूछे गये, जिस पर आर जे 23 टी 0033
का रिकार्ड के अनुसार [illegible] सीकर होना व उसके चैसिस नं. डी एन
06245 व इंजन नं. 062245 बताये है।

9- पा.सा.4 [illegible]राम है जो पक्षद्रोही घोषित हुआ है और अभियोजन की कोई मदद नहीं करता है।

10- पा.सा.10 भंवरराम है जो कहता है कि आर जे 23 टी0033 उसने जयसिंह से खरीदने की बातचीत की थी, उसका मालिक कौन था ध्यान नहीं है। पावर ऑफ अटोर्नी जयसिंह के पास थी, जो आर एफ सी में कार्य करता है, उसने 15 दिन तक जीप को रखा, फिर जीप को जयसिंह ने भेगाराम को दिला दी। गोपाल भेगाराम का लड़का है। गोपाल से एक लाख सत्तर हजार रूपये मांगता है, जिसमें से शेष पच्चीस हजार रूपये बकाया है। गोपाल ने यह जीप [illegible] बाबरमल रामपुरा को बेच दी। गोपाल ने पैसा देने से मना किया तो इसने इसका मुकदमा सदर थाना पर दर्ज करवाया था। इसकी जानकारी में नहीं है कि आर एफ सी वालों ने कोई मुकदमा दर्ज करवाया हो। इसे यह भी पता नहीं है कि आर एफ सी को 6999 जब्त करा दी हो। इसे भी अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही घोषित करवाया है जो अधिवक्ता अभियुक्तगण की जिरह में कहता है कि बाबर को तब से जानता है जब से बाबर बैलाली से गाड़ी लेकर गया। गोपाल ने बाबर को गाड़ी दी उसकी [illegible] नहीं की थी। अतः इसके कथनों से यह प्रकट होता है कि यह गाड़ी गोपालपुत्र भेगाराम ने बाबर को दे दी थी और बाबर ने [illegible] नम्बर की गाड़ी आर एफ सी के प्रदर्श पी 2 के अनुसार बाबर ने [illegible] की थी, [illegible] प्रदर्श पी 2 अधिकारियों को आवंटित करवायी थी, जो अभिवहन [illegible] नोटरी द्वारा प्रमाणित करायी गयी थी।

पा.सा.6 महावीरप्रसाद है जो कहता है कि इस प्रकरण की तफ्तीश के दौरान राजेन्द्रसिंह, जयसिंह, [illegible]लाल, [illegible]राम के बयान लिये और अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली नरेन्द्रसिंह को दी थी।

पा.सा.5 नरेन्द्रसिंह है जो कहता है कि दिनांक 29.4.95 को थाना सदर सीकर में थानाधिकारी था, महावीरप्रसाद ए एस आई ने इस प्रकरण की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु सौंपी थी। दौराने तफ्तीश जीप आर जे 23 टी0033 बतौर [illegible] जब्त की थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 7 है, जिस पर इसके हस्ताक्षर है। जीप बाबर के मकान से बरामद जब्त की थी, जीप के [illegible] पर नम्बर प्लेट आर जे 23 टी 0033 लगी थी, [illegible] में जीप के सामने नम्बर आर आर टी 6999 थे। जीप गवाह [illegible]कुमार व हरलाल के सामने जब्त की थी। इसने गवाह [illegible]राम के बयान लिये थे। जीप जब्त की उसके [illegible] नम्बर आ रहे थे, जो चैसिस नम्बर एन सी-640 डी [illegible]-4 आर डी डी [illegible] लोहे का टांके से खुर्द बुर्द किये हुए थे। इंजन नम्बर [illegible] होना बताते। जिला परिवहन जीप के वास्तविक नम्बर आर आर टी 6999 होना बताये। जिला परिवहन अधिकारी सीकर को जीप के वास्तविक नम्बर इंजन [illegible] की जानकारी के लिए लिखा गया था जो प्रदर्श पी 5 है, इस पर जिला परिवहन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। जब्तशुदा जीप के चैसिस व इंजन नम्बर एफ एस एल से [illegible] करवाये थे, जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। उसने आरोपीगण बाबरलाल व रामचन्द्र [illegible] जिरह में कहता है कि बाबर के कब्जे से जो जीप ली गयी, [illegible] नम्बर प्लेट जब्त की थी, प्रदर्श पी 1 फर्द बनायी थी, जो आर एफ सी द्वारा बाबरलाल के कब्जे से औद्योगिक क्षेत्र सीकर में खड़ी थी। आगे जिरह

प्रमाणित प्रतिलिपि
दिनांक 25.2.2002
मुख्य प्रतिलिपिकार
[illegible] सीकर (राज.)
[illegible] 19.2.02
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)
प्रभारी प्रतिलिपि [illegible] केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
जिला एवं सेशन न्यायाधीश सीकर (राज.)

में कहता है कि अन्य मुकदमा में जीप आर जे 23 टी 0033 दुर्घटनाग्रस्त होकर जब्त हुई थी, जिसमें जीप के मालिक को नोटिस दिया गया था जो जयसिंह, किशनदास को दिया गया था व दूसरा नोटिस भींवाराम को दिया गया था और जैसा कि इस प्रकरण में भींवाराम बतौर गवाह पेश हुआ है, जो अपने कथनों में कायम करता है कि उसने यह जीप बाद में भैमाराम को दी थी, जो जयसिंह के कहने से दी थी व भैमाराम के लड़के गोपाल ने झाबरमल को दी थी। जिस सम्बन्ध में जयसिंह स्वयं कहता है कि उसने ताराचन्द के कहने से एक पावर ऑफ अटॉर्नी बेचान की भींवाराम के पक्ष में लिखी थी, जो इसके मालिक महेन्द्र के बापा के कहने के आधार पर लिखी थी। गवाह नरेन्द्रसिंह जिरह में कहता है कि जगदीशप्रसाद विदेश रहता था, उसने जीप झाबरमल को संभला रखी थी। मुकदमा नं. 5/94 में जयसिंह ने प्रदर्श डी 8 बयान दिये थे, जिसमें भींवाराम को कब्जादार होना बताया था। दिनांक 12.1.94 को प्रदर्श डी 11 के द्वारा भींवाराम के पक्ष में जीप छोड़ी थी। यह भी कहता है कि उस प्रकरण में महावीरप्रसाद अन्वेषण अधिकारी है। इस प्रकरण में उस प्रकरण के तथ्यों की कोई जानकारी इसको नहीं है।

13- पी.डब्ल्यू.7 गजानन्द है जो जीप आर जे 23 टी0033 को एफ एस एल जयपुर में जांच हेतु ले जाना कहता है तथा जीप जमा कराकर रसीद थाने में पेश करना कहता है एवं आर जे 23 टी0033 की नम्बर प्लेट लगी होना कहता है।

14- एफ एस एल की जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 है, जिसके अनुसार जो जीप जमा हुई उसमें चेसिस नम्बर एन सी 640डीपी-45डब्ल्यू डी- डीजे-30358 के नहीं लिखे हुये है, जो जांच में पाया गया, मिटा होना पाये गये और इंजन नम्बर उसके नहीं लिखे हुये है, जो द्वारा सही करने पर चेसिस नम्बर के अंतिम नम्बर को मिटाया हुआ है, जो द्वारा सही करने पर चेसिस नम्बर के अंतिम नम्बर एन सी-640 -45डब्ल्यू डी-डीजे-30358 होना पाये गये। इंजन नम्बर एन सी-640 -45डब्ल्यू डी-डीजे-30358 पाये गये और जैसा कि प्रदर्श पी 5 जिला परिवहन अधिकारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि यह इंजन नम्बर व चेसिस नम्बर जीप आर जे 23 टी0033 से मेल नहीं खाते हैं, जिसमें इंजन नम्बर व चेसिस नम्बर प्रदर्श पी 5 रिपोर्ट के मुताबिक चेसिस नम्बर डी एन 06245 व इंजन नम्बर डी एन 06245 होना बताये है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि वाहन नं. आर आर टी 6999 जीप कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार रामचन्द्र पुत्र केशरराम जाट निवासी रामपुरा के नाम पर है, जिसके चेसिस नम्बर 30358 है व इंजन नम्बर डी जे 30358 है, जो एफ एस एल रिपोर्ट में नम्बर को दुरुस्त करने के बाद जो नम्बर पाये गये उससे मेल खाते है।

15- फर्द जब्ती नम्बर प्लेट प्रदर्श पी 7 है, जिसके अनुसार जब्त शुदा जीप आर आर टी 6999 पर लगी नम्बर प्लेट आर जे 23 टी0033 को उतारकर कब्जे में ली गयी, जो फर्द जब्ती जीप प्रदर्श पी 1 के अनुसार भी नम्बर प्लेट पर जीप नम्बर आर जे 23 टी 0033 लगी होना दर्ज है। यह भी लिखा है कि जीप के चेसिस नम्बर अधूरे नजर आते है, आगे के नम्बर लोहे की टांकी से खुर्द बुर्द किये हुये है और इंजन नम्बर नजर नहीं आ रहे है। इससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्त रामचन्द्र जो कि जीप आर आर टी6999 का पंजीकृत स्वामी था, जिसके भाई झाबरमल के कब्जे से उक्त जीप आर एफ सी अधिकारियों के द्वारा जीप की जब्ती के दौरान, जीप आर जे 23 टी0033 बतौर जब्त करायी गयी, जो झाबरमल द्वारा प्रस्तुत की गयी, उस समय उसके ऊपर नम्बर प्लेट आर जे 23 टी0033 लगी हुई थी एवं इंजन नम्बर व चेसिस नम्बर खुर्द बुर्द किये हुये थे।

19.2.02

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

92.4

16- इस समस्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीप अभियुक्त
झाबरमल के कब्जे से बरामद हुई। जीप बरामद हुई उसके वास्तविक नम्बर आर आर
टी 6999 हो, जबकि बरवक्त बरामदगी आर जे 23 टी0033 की जीप पर नम्बर
प्लेट लगी हुई थी और जीप आर जे 23 टी0033 बताते हुये राजस्थान वित्त
निगम के अधिकारियों के अभिरक्षण में सौंपी गयी थी, जिसमें चेसिस नम्बर व
इंजन नम्बर इस तथ्य को छुपाने के लिए कपटपूर्वक खुर्द बुर्द किये हुये हो, जिससे कि
यह जानकारी प्राप्त नहीं हो सके कि वास्तव में जीप आर जे 23 टी0033 नहीं
होकर ~~वास्तव में~~ अन्य जीप आर आर जी 6999 है और इस रूप में राजस्थान वित्त
निगम के अधिकारियों को धोखा देकर इस जीप को अभिग्रहित करवाया गया है,
जो अत्यधिक पुराने मॉडल की थी, जबकि दूसरी जीप आर जे 23 टी0033 1991
के मॉडल की नयी जीप थी। इनके द्वारा धोखा दिये जाने का तथ्य इससे भी
प्रकट होता है कि जब जीप को दिनांक 29.9.94 को राजस्थान वित्त निगम
द्वारा अभिग्रहित कर लिया गया और स्वयं झाबरमल द्वारा उस जीप को चलाकर
राजस्थान वित्त निगम के गोदाम में खड़ी कर दी गयी। उसके कई महीने बाद
दिनांक 6.3.95 को जीप आर आर टी 6999 को रास्ते में खड़ी को चोरी चले
जाने की गलत रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, उसमें भी घटना का दिन दि0 26.2.95
को बताया गया, जिससे भी स्पष्ट हो जाता है कि इस तथ्य को छुपाने के लिए
कि उनके द्वारा राजस्थान वित्त निगम के अधिकारियों को बेईमानीपूर्वक व कपटपूर्वक
गलत जीप सौंपी ~~गयी है~~, की जानकारी होने पर उससे बचा जा सके, यह गलत रिपोर्ट
चोरी की दर्ज करायी गयी जो प्रदर्श पी 9 है।

17- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि यह रिपोर्ट
जयसिंह के द्वारा लिखी गयी है तथा जयसिंह को यह तथ्य भलीभांति मालूम था कि
जीप आर जे 23 टी0033 उसके द्वारा ही विक्रय की गयी है, जयसिंह ही जगदीश
प्रसाद शर्मा का पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर था। फिर भी उसने रिपोर्ट में यह गलत
तथ्य दर्ज किया कि जीप का ड्राईवर झाबरमल है, जिसके कब्जे में जीप थी, जो जीप
किराया पर चलाता था और अपने घर पर रखता था और जीप शुरू से अब तक
झाबरमल की देखभाल में है। इस सम्बन्ध में जयसिंह के कथनों से स्पष्ट हो जाता
है कि वह जगदीशप्रसाद शर्मा का मुख्त्यार आम था, किन्तु जगदीशप्रसाद शर्मा
के द्वारा प्रदर्श डी 1 द्वारा उक्त जीप को महेन्द्र को बेचान कर दिया था और
महेन्द्र को इकरारनामा लिखकर बेचान की जा चुकी थी तो अपने आप में
इकरारनामा जो कि बेचान के इकरारनामा के पहले का है अर्थात दिनांक
6.9.91 का है, वह बेचान का इकरार दिनांक 7.9.91 का है, प्रदर्श डी 2 स्वतः
रद्द हो जाता है। फिर भी जयसिंह के कथनों के अनुसार एवं प्रदर्श डी 3
इकरारनामा बेचान से यह प्रकट होता है कि जयसिंह ने इस जीप को नाथाराम
को बेचान का इकरार किया जो जयसिंह की जिरह में स्पष्ट किया गया था कि
महेन्द्रसिंह के हाथ के फटने के कारण उसने उक्त इकरारनामा पर हस्ताक्षर किये
हो और नाथाराम द्वारा प्रदर्श डी 4 के अनुसार उक्त जीप को भैराराम को बेचान
कर दिया था और जिसके बाद पूछताछ करने पर भैराराम के लड़के गोपाल ने झाबर
मल को बेचान करना बताया, जो गवाह गोपाल पेश नहीं हुआ है, लेकिन भैराराम
अपने कथन पी.डब्लू.8 में इसकी पुष्टि करता है और इस पूछताछ के आधार पर ही
जीप झाबरमल के कब्जे से अभिग्रहित की गयी, जो तत्पश्चात नीलामी के दौरान
पता चला कि वास्तव में यह जीप आर जे 23 टी0033 नहीं है और इस आधार
पर राजस्थान वित्त निगम के द्वारा झाबरमल व उसके भाई रामचन्द्र के विरुद्ध
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। यदि यह माना जावे कि [illegible] कि
[illegible] वित्त पोषित जीप [illegible]

19.2.02
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर

423

(8) [illegible] मोहनराम को दिया जाना

अपने नाम करवाने का [illegible] हुई उसका [illegible] है, किन्तु [illegible] प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि इस आधार पर अभियुक्तगण को [illegible] राजस्थान वित्त निगम को धोखा देने के लिए अभियुक्तगण ने अभियुक्तकार राजस्थान वित्त निगम [illegible] व चैसिस नम्बर [illegible] अपना पुराना [illegible] आर आर सी 6999 के इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर [illegible] आर जे 23 टी0033 की नम्बर प्लेट [illegible] हटाकर [illegible] [illegible] करके [illegible] के आर आर जे 23 टी0033 को आरोपित करवाया और राजस्थान लगाकर उसे राजस्थान वित्त निगम को आरोपित करवाया कि यह जीप वास्तव में वित्त निगम के अधिकारियों को यह विश्वास दिलाया कि यह जीप को राजस्थान आर जे 23 टी 0033 है। इसके पीछे उनका आशय पुरानी जीप को ही काम में लिया जाना रहा है। वित्त निगम को सौंप कर नयी जीप को [illegible] आर जे 23 टी 0033 की बरामदगी नहीं हालांकि इस प्रकरण में वास्तविक जीप आर जे 23 टी 0033 की बरामदगी नहीं हुई है, किन्तु अभियुक्तगण का आशय इससे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अपनी जीप को जो कि पुराने मोडल की जीप थी, के ऊपर राजस्थान वित्त निगम के अधिकारियों द्वारा वित्त पोषित जीप के नम्बर लगाकर राजस्थान वित्त निगम के अधिकारियों के साथ छल किया व छलपूर्वक विश्वास दिलाया कि जो जीप उनके द्वारा आरोपित करवायी जा रही है वह आर जे 23 टी 0033 है, जबकि वास्तव में वह जीप आर आर सी 6999 थी, जो कि अभियुक्त रामचन्द्र के नाम पंजीकृत थी। अभियुक्त रामचन्द्र अपने बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन में इस तथ्य को इन्कार नहीं किया है कि जीप जो आर जे 23 टी0033 जब्त की गयी के चैसिस नम्बर व इंजन नम्बर लोहे की टांकी से घुर्द बुर्द किये गये थे व वास्तविक नम्बर आर आर सी 6999 थे तथा न ही जिला परिवहन अधिकारी की रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 को गलत होना बताया है बल्कि जानकारी नहीं होना कहता है। अभियुक्त हजारीमल भी अपने कथनों में इन तथ्यों को गलत होना नहीं कहता है। डी.डब्ल्यू. 1 हजारीमल के कथन दर्ज करवाये गये है, जो कहता है कि जगदीश प्रसाद शर्मा का वाहन आर जे 23 टी0033 उसको कभी नहीं संभलाया और न ही उस वाहन से उसका कोई सम्बन्ध रहा। यह जीप आर जे 23 टी0033 के दुर्घटना वाले मुकदमा 5/94 के दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाता है किन्तु उन दस्तावेजात से यह प्रकट होता है कि उसमें जीप के चालक मोटर वाहन अधिनियम धारा 133 एम वी एक्ट अन्तर्गत व मोहनराम को दिया गया। उस वक्त उसका ड्राईवर मोहनराम था और जैसा कि मोहनराम कहता है कि [illegible] पहले न्यायालय से जीप सुपुर्दगी पर ली थी और तत्पश्चात जीप मोहनराम को दी थी और राजस्थान वित्त निगम वालों द्वारा पूछताछ करने पर मोहनराम से मिलवाया था, जिसके पश्चात् गोपाल ने बताया कि जीप हजारीमल को दी हुई है, जो यह गवाह भी कहता है कि सुपुर्दगी आदेश मोहनराम पुत्र हनुमान के पक्ष में हुआ था। यह अपने बयानों में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि आर आर सी 6999 इसके भाई के नाम से पंजीकृत है, जो यह नसीराबाद से चोरी होना कहता है। अतः इसके कथनों से भी स्पष्ट है कि जो जीप राजस्थान वित्त निगम को आरोपित करवायी गयी वह जीप इसके भाई के नाम पंजीकृत जीप आर आर सी 6999 थी। सफाई में डी.डब्ल्यू. 2 महावीरप्रसाद को पेश किया गया है, जिसके द्वारा भी 5/94 दुर्घटनावाले मुकदमा को साबित करवाया गया है, जिसकी तफ्तीश इसके द्वारा की गयी थी, जो कहता है कि उस समय इसकी तफ्तीश में नहीं आया कि जगदीश प्रसाद ने गाड़ी हजारीमल को संभला दी हो। यह सही है कि यह गाड़ी राज. वित्त निगम से वित्त पोषित थी। यह सही है कि उसका विक्रय का इकरारनामा जगदीश के द्वारा किया गया था, उस पर ऋण था, इसलिए जीप का नाम स्थानान्तरण नहीं हुआ। यह गवाह जिरह में कहता है कि मुकदमा नम्बर 48/95

सत्यापित प्रतिलिपि 25.2.[illegible]

[illegible] 19.2.02

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट [illegible] (राज.)

५९

५२२

६९६

की मिलावट करने की थी, जो इस मुकदमा के सम्बन्ध में ... कहा है कि जीप आर जे 23 टी 0033 की जगह आर आर टी 6999 लगाकर दी गयी था पहले दुर्घटना वाले मुकदमा में आर जे 23 टी 0033 थी, जबकि वाद वाले मुकदमा में जो जीप जब्त की गयी वह आर आर टी 6999 थी, जिस पर नम्बर प्लेट आर जे 23 टी 0033 वाली लगी हुई थी। अतः इसके कथनों से भी यह भलीभांति साबित हो जाता है कि जीप जो कि अभियुक्त रामचन्द्र के नाम पंजीकृत थी, जिसके नम्बर आर आर टी 6999 थे, जो अत्यधिक पुराना मॉडल की थी, उसके ऊपर आर जे 23 टी 0033 लगाये जाकर उसके इंजन व चेसिस नम्बर को छेड़ छाड़ कर, मिटाकर अभियुक्त झाबरमल द्वारा राजस्थान वित्त निगम के अधिकारियों को अवलोकित करवायी गयी व राजस्थान वित्त निगम के साथ इस रूप में छल कारित किया। अतः अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरुद्ध अपना पक्ष संदेह से परे साबित किया है।

-: आदेश :-

18- अभियुक्तगण रामचन्द्र व झाबरमल को धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

ह०
(श्री ...)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (राज.) सीकर।

सत्य प्रतिलिपि
25.2.2002
प्रतिलिपिकार

19- सजा के बिन्दु पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण का निवेदन है कि अभियुक्तगण के प्रति नरम रुख अपनाया जावे। विद्वान सहायक लोक अभियोजक का निवेदन है कि अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

20- समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये कि अभियुक्तगण द्वारा वाहन के इंजन व चेसिस नम्बर को छेड़-छाड़ कर छलपूर्वक राजस्थान वित्त निगम ... पारदर्शित किया गया है, अन्य वाहन को दिखाते हुये गलत जीप को विश्वास दिलाते हुये ... यह एक अत्यधिक गंभीर अपराध है। अतः समस्त तथ्यों को देखते हुये अभियुक्तगण के विरुद्ध निम्न दण्डादेश पारित किया जाता है:-

अभियुक्तगण रामचन्द्र व झाबरमल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास व तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतेगा। अभियुक्तगण की पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा की अवधि मूल सजा में समायोजित की जावे।

ह०
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।

21- निर्णय आज दिनांक 19.2.2002 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ह०
(श्री ...)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।

प्रमाणित प्रतिलिपि केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
जिला एवं सेशन न्यायाधीश सीकर (राज.)